

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: आदेश :—

संयिका संख्या—6/अ0-03-18/2021

पटना, दिनांक:—

श्रीमती ताविषी प्रिया, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), हाजीपुर अंचल, हाजीपुर द्वारा दिनांक 03.12.2024 से 19.06.2025 तक कुल 199 दिनों का उपार्जित/असाधारण अवकाश बिना पूर्वानुमति/स्वीकृति के उपभोग किया गया है।

अतएव उक्त अवकाश आवेदन को सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6/अ0-03-18/2021 2286

पटना, दिनांक:— 23/06/26

प्रतिलिपि :— वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हाजीपुर (वैशाली)/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), सारण प्रमंडल, छपरा/अंचल प्रभारी, हाजीपुर अंचल, हाजीपुर/नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0 एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती ताविषी प्रिया, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), हाजीपुर अंचल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।